



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 2019/माघ 15, 1940

No. 71]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 2019/MAGHA 15, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 85(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आरमोरर काडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के आरमोरर काडर समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आरमोरर काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) पद भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना :** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- अर्हता.**— वह व्यक्ति,—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सीय दृष्टया योग्यता.**— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "शेष-1" से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत हैं:—

(i) शेष (एस.एच.ए.पी.ई.), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण; अर्थात् :-

एस	—	मनोवैज्ञानिक
एच	—	श्रवण शक्ति
ए	—	उपांग (अपैन्डेजेस)
पी	—	शारीरिक क्षमता
ई	—	दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता, उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी। कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे, सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी-1 में है वहां उसका प्रवर्ग एस1 एच1 ए1 पी1 ई1 लिखने के बजाय शेष-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है:—

(क) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(ख) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या, कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों/आँखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

(ग) "एस" कारक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

(ङ) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **गैर भारतीय नागरिकों की अपात्रता.**—कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल या भूटान के नागरिकों को बल में नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

9. **अधिवर्षिता.—(1)** इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में या केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथा-विहित सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के लिए विहित आयु के पश्चात् सेवा में विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

10. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

11. **निर्वचन**—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो वह केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निरीक्षक (आरमोरर)	20* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 7 (44900—142400 रु.)	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा, उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर।

(11)

प्रोन्नति द्वारा :

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले ऐसे उप निरीक्षक(आरमोरर) में से जिन्होंने विहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

लागू नहीं।

1. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष
2. सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य
3. उप सेनानी या सहायक सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप-निरीक्षक (आरमोरर)	84* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 6 (35400-112400 ₹.)	चयन।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	02 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा।

(11)

प्रोन्नति द्वारा :

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 में दस वर्ष की नियमित सेवा वाले ऐसे हैड कांस्टेबल (आरमोरर) में से जिन्होंने विहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
<p>प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति एवं स्थाईकरण समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष सेनानी या द्वितीय कमान, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य उप द्वितीय कमान या सहायक सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. हैड कांस्टेबल (आरमोरर)	298* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 4 (25500—81100 रु.)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	दो वर्ष (भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा :</p> <p>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 में कांस्टेबल (आरमोरर) में से, जिन्होंने कांस्टेबल के रूप में जिसके अंतर्गत कांस्टेबल (आयुधिक) के रूप में तीन वर्ष की सेवा भी है, पांच वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा विहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।</p> <p>टिप्पण 1.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन :</p> <p>समतुल्य रैंक के ऐसे सेवानिवृत्त या निर्मुक्त सेना कार्मिक जिनके पास आर्डिनंस का तीन वर्ष का अनुभव है।</p>

(12)	(13)
<p>प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति एवं स्थाईकरण समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष द्वितीय कमान या उप सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य सहायक सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. कांस्टेबल (आरमोरर)	92* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 3 (21700—69100 रु.)	लागू नहीं

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	आमेलन द्वारा

(11)	
<p>आमेलन द्वारा :</p> <p>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 3 में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले ऐसे मैट्रिकुलेट कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) में से जिन्होंने संपरिवर्तन परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आयोजित निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा किया हो:-</p> <p>(1) बुनियादी प्रशिक्षण (2) बुनियादी आयुधिक पाठ्यक्रम, श्रेणी- III</p>	
(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (चयन और स्थायीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष</p> <p>2. द्वितीय कमान या उप सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य</p> <p>3. सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य</p>	लागू नहीं।

[फा. सं. I.12012 / 17 / 2016—संग.]

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2019

G.S.R. 85(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Armourer Cadre (Group 'B' & 'C' posts), Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' and 'C' posts in Armourer Cadre in Indo-Tibetan Border Police Force, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Armourer Cadre (Group 'B' and 'C' posts), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of said post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc..—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

Explanation.—For the purposes of this rule, SHAPE-I means Medical Category defined as under :—

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function :-

- S - Psychological
- H- Hearing
- A- Appendages
- P - Physical capacity
- E- Eye sight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency. The numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1H1A1P1E1. General evaluation of these numerals are as under:—

- (a) Fit for all duties anywhere.
- (b) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears or eyes.
- (c) Excepting “S” factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.
- (d) Temporarily unfit for duties on account of hospitalisation or sick leave.
- (e) Permanently unfit for duties.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

8. Ineligibility of non-citizens of India.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

9. Superannuation.—(1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which he or she attains the age of fifty seven years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

10. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

11. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification of the Post	Level in the pay matrix	Selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Inspector (Armourer).	20* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 7 (Rs.44900 – 142400)	Selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not Applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(11)

By promotion:

From amongst Sub-Inspector (Armourer) of the Indo-Tibetan Border Police Force in level – 6 in the pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional training courses.

Note 1.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Deputy Commandant or Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Sub-Inspector (Armourer)	84* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 6 (Rs.35400-112400)	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not Applicable	Not applicable	Two years	By promotion

(11)
<p>By promotion:</p> <p>Head Constable (Armourer) of Indo-Tibetan Border Police in level 4 in the pay matrix with ten years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional training or course.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion & confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman Commandant or Second-in-Command, Indo-Tibetan Border Police Force - Member Deputy Commandant or Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Head Constable (Armourer)	298* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 4 (Rs. 25500-81100)	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not Applicable	Not applicable	Two years. (For re-employed ex-servicemen)	By promotion failing which by re-employment

(11)
<p>By promotion :</p> <p>From amongst Constables (Armourer) of the Indo-Tibetan Border Police Force in level – 3 in the pay matrix with five years regular service as Constables including three years service as Constable (Armourer) and having successfully completed the prescribed pre-promotional training or courses.</p> <p>Note. 1— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Re-employment of ex-servicemen :</p> <p>Retired or released Army personnel of equivalent rank with experience in Ordnance.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion & confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman Second-in-Command or Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Constable (Armourer)	92* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non- Gazetted, (Non- Ministerial)	Level 3 (Rs. 21700-69100)	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By absorption

(11)
<p>By absorption :</p> <p>From amongst Matriculate Constable (General Duty) of the Indo-Tibetan Border Police Force in level – 3 in the pay matrix with two years regular service and have undergone the following courses organized by the Indo-Tibetan Border Police Force subject to passing the Conversion Test.</p> <p>(1) Basic Training (2) Basic Armourer Course, Grade-III.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering selection and confirmation) consisting of:-</p> <p>1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman</p> <p>2. Second-in-Command or Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member</p> <p>3. Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member</p>	Not applicable.

[F. No. I. 12012/17/2016-Org.]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.